न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल

प्रकरण संख्याः–167 / 2017 निर्णय दिनांकः–23.07.2024

1 श्री जालमा पिता लक्ष्मण डामोर आयु वयस्क निवासी भाटीया तहसील सीमलवाडा डूंगरपुर राजस्थान।

---वादी

बनाम

1 श्री रतना पिता भेमा डामोर आयु वयस्क
2 श्रीमती लाडु बेवा भेमा डामोर आयु वयस्क
3 श्री कालु पिता लक्ष्मण डामोर आयु वयस्क
4 श्री रमण पिता लक्ष्मण डामोर आयु वयस्क
5 श्री सुफरा पिता हीरा डामोर आयु वयस्क
6 श्री श्यामा पिता हीरा डामोर आयु वयस्क
7 श्री नानीया पिता हीरा डामोर आयु वयस्क
8 श्री सना पिता हीरा डामोर आयु वयस्क
9 श्री अम्रत पिता हीरा डामोर आयु वयस्क
10 श्री नारायण पिता रणछोड डामोर आयु वयस्क
11 श्री प्रभु पिता रणछोड डामोर आयु वयस्क
12 श्री विपेष पिता रणछोड डामोर आयु वयस्क
13 श्रीमती जीवली बेवा रणछोड डामोर आयु वयस्क
14 श्री मनुरा पिता गेंदाल डामोर आयु वयस्क
15 श्री भुरा पिता गेंदाल डामोर आयु वयस्क
16 श्री शंकर पिता गेंदाल डामोर आयु वयस्क
17 श्री गला पिता गेंदाल डामोर आयु वयस्क
18 श्री लाडु पिता रामा डामोर आयु वयस्क
19 श्रीमती वाली बेवा रामा डामोर आयु वयस्क
20 श्री वागा पिता धीरा डामोर आयु वयस्क
21 श्री गोबरा पिता धीरा डामोर आयु वयस्क
22 श्री होकली पिता हेमा डामोर आयु वयस्क निवासीयान निवासी भाटीया तहसील सीमलवाडा डूंगरपुर राजस्थान।
23 श्रीमान भूमिधारी तहसिलदार साहब सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राज.

–प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53, 88, 188 व 209 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपस्थितः–
वादी की ओर से अनुपस्थित।
श्री बालगोविन्द पाटीदार प्रतिवादीगण की ओर से।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया था कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा मूल पुरूष दला के वारिसान है वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया मे खाता सख्या 137 खसरा संख्या 548, 549, 550, 569, 571, 572, 584, 585, 590 व 682 कुल खसरा 10 कुल रकबा 21.03 बीघा होकर स्थित है, जिसमे प्रतिवादी सख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा, वादी एंव प्रतिवादी सख्या 4 व 5 का 1/3 हिस्सा तथा माना का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकोर्ड है तथा वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया मे खाता सख्या 136 खसरा सख्या 439/2 रकबा 15.10 बीघा होकर स्थित है जिसमे प्रतिवादी सख्या 1 व 2 का 1/24 हिस्सा , वादी एंव प्रतिवादी सख्या 3 व 4 का 1/24 हिस्सा तथा माना का 1/24 हिस्सा दर्ज रेकोर्ड है तथा वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया खाता सख्या 135 खसरा सख्या 570,586, 587, 598 व 599 कुल खसरा 5 कुल रकबा 4.06 सिति है जिसमे प्रतिवादी सख्या 1 व 2 का 1/18 हिस्सा , वादी एंव प्रतिवादी सख्या 4 व 5 का 1/18 हिस्सा तथा माना का 1/18 हिस्सा दर्ज रेकोर्ड है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान प्रतिवादी संख्या 05 से 22 का दर्ज रिकॉर्ड है। माना ने अपना 1/3 हिस्सा वादी को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज हक त्यागनामा दिनांक 13.07.2016 को निष्पादित किया, जिससे माना का 1/3 हिस्सा वादी को प्राप्त होने से व वादी का उसके पिता की भूमि 1/3 हिस्सा निहित होने से दोनों हिस्सों के अनुसार विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण विभाजन को तैयार नही होने से मौके पर विवाद होता है। ऐसे मे हाल जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से के अनुसार वादग्रस्त आराजी का बंटवारा कर अलग अलग खाते कायम किये जाने आवश्यक है तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द किये जावे कि वे वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे। इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या तीन ने जवाब व प्रतिवाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मे माना के हिस्से की भूमि को अकेले हडपने के लिये वादी ने झुठा वाद प्रस्तुत किया है । वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। तथा मुलपुरूष दला के वारिसान है वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया मे खाता सख्या 137 खसरा सख्या 548, 549, 550, 569, 571, 572, 584, 585, 590 व 682 कुल खसरा 10 कुल रकबा 21.03 बीघा होकर स्थित है जिसके 1/2 हिस्से पर भेमा के वारिसान प्रतिवादी सख्या 1 व 1/2 हिस्से पर वादी एंव प्रतिवादी सख्या 3 व 4 काबीज है तथा वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया मे खाता सख्या 136 खसरा सख्या 439/2 रकबा 15.10 बीघा होकर स्थित है जिसके 1/16 हिस्से पर प्रतिवादी सख्या 1 व 1/16 हिस्से पर वादी व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 काबीज है तथा वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया खाता सख्या 135 खसरा सख्या 570,586, 587, 598 व 599 कुल

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

खसरा 5 कुल रकबा 4.06 के 1/12 हिस्से पर प्रतिवादी सख्या 1 तथा 1/12 हिस्से पर वादी एंव प्रतिवादी सख्या 3 व 4 काबीज है । वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की विरासती आराजी है जो पूर्व में वादी व प्रतिवादीगण के दादा दला के नाम दर्ज थी । जो दला की मृत्यु के पश्चात दला के तीनो पुत्रो के नाम दर्ज हुई थी, जिस पर प्रतिवादी सख्या 3 का जन्म से अधिकार निहित है लेकिन माना के बीमार होने के समय वादी ने माना का कोई वारिस नही होने के कारण माना के हिस्से की भूमि अकेले हडपने के लिये वादी ने विधि विरुद्ध माना से वादग्रस्त आराजी मे माना के सम्पुर्ण हिस्से का छलपूर्वक हकत्यागनामा सम्पादीत करवा दिया जबकि माना के जिवित काल मे ही माना के हिस्से की भूमि पर वादी व प्रतिवादी सख्या 1 से 4 सयुक्त रुप से काबीज थे, जिसकी जानकारी वादी को भी थी लेकिन माना के बीमार होने का फायदा उठाकर वादी ने धोखे से हकत्यागनामा संपादित करवा दिया ऐसे मे विधि विरुद्ध संपादित किये गये हकत्यागनामा को शून्य एंव प्रभावहीन घोषित किया जावे तथा नामान्तरण संख्या 606, 607, व 608 को निरस्त कर वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया मे खाता संख्या 137 खसरा संख्या 548, 549, 550, 569, 571, 572, 584, 585, 590 व 682 कुल खसरा 10 कुल रकबा 21.03 बीघा का 1/2 हिस्सा पर भेमा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व 1/2 हिस्से पर वादी एंव प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम तथा वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया में खाता सख्या 136 खसरा सख्या 439/2 रकबा 15.10 बीघा का 1/16 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 1 व 1/16 हिस्सा वादी व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के नाम दर्ज कर तथा वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया खाता सख्या 135 खसरा सख्या 570,586, 587, 598 व 599 कुल खसरा 5 कुल रकवा 4. 06 का 1/12 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 1 तथा 1/12 हिस्सा वादी एंव प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के नाम दर्ज किया जाकर अलग अलग खाते कायम किये जाने आवश्यक है तथा वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जावे कि वो प्रतिवादी सख्या तीन को वादग्रस्त आराजी मे काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे। प्रतिवादी संख्या तीन ने अपने प्रतिवाद मे उक्त दाद चाही है। पत्रावली वास्ते जवाबउल जवाब हेतु रखी गई।

वकील वादी ने जवाबउल जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मे माना ने अपने जिवितकाल मे अपना 1/3 हिस्सा वादी को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज हक त्यागनामा 13.07.2016 को निष्पादीत किया जिसके आधार पर नामान्तरण सख्या 606, 607 व 608 खोले गये है जिससे माना का 1/3 हिस्सा वादी को प्राप्त होने से व वादी का उसके पिता की भूमि मे हिस्सा निहित होने से उसी हिस्से अनुसार विभाजन किया तथा प्रतिवादी का प्रतिवाद खारीज किया जावे । पत्रावली वास्ते तनकीयात हेतु रखी गई। दिनांक 3.10.2019 को वादी ने आर्डर 22 रुल 4 का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादी सख्या 2 के लाऔलाद फोत होने तथा उसके वारिसान पत्रावली पर मौजुद होने से प्रतिवादी सख्या 2 के खिलाफ कार्यवाही विलोपित करने का निवेदन किया प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी सख्या दो के विरुद्ध कार्यवाही विलोपित की गई।

खण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण के वाद, प्रतिवादीगण के जवाब दावा, प्रतिवाद व जवाबउल जवाब के अनुसार निम्न तनकियात कायम की गई–

1 आया वादी मौजा भाटीया के वाद की कॉलम संख्या दो में अंकित सहखातेदारी भूमि मे एंव माना पिता दला द्वारा वादी के पक्ष मे रजिस्टर्ड हकत्याग विलेख के अन्तरित किया गया अपना हिस्सा तथा अन्य सहखातेदारी भूमि मे अपने हिस्से अनुसार भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है ।

–जिम्मे वादी

2 आया वादी अपने हिस्से अनुसार पृथक्–पृथक् खाता कायम कर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है।

– जिम्मे वादी

3 आया प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपने प्रतिवाद मे चाही गई दाद की कालम सख्या 1, 2, 3, 4 व 5 मे चाही गई दाद वादी से प्राप्त करने का अधिकारी नही होने से प्रतिवादी सख्या 4 का प्रतिवाद खारीज योग्य है।

– जिम्मे वादी

4 अनुतोष–

वादी ने अपने समर्थन में निम्न साक्ष्य पेश किये।

1 पीडब्लयु–1– श्री जालमा पिता लक्ष्मण डामोर निवासी भाटीया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रदर्श–1 खतोनी जमाबंदी खाता सख्या 137 की नकल
प्रदर्श–2 खतोनी जमाबंदी खाता सख्या 136 की नकल
प्रदर्श–3 खतोनी जमाबंदी खाता सख्या 135 की नकल
प्रदर्श–4 हकत्याग नामा दिनांक 13.07.2016
प्रदर्श–5 जिला पुलिस अधीक्षक महोदय डुगंरपूर को सौपा गया परिवाद
प्रदर्श–6 जिला कलेक्टर महोदय डुगंरपूर को सौंपा गया परिवाद
प्रदर्श–7 रजिस्टर्ड ए. डी की रसीद

उक्त बयानों में बताया की वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा मूलपुरूष दला के वारिसान है। वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया मे खाता सख्या 137 खसरा सख्या 548, 549, 550, 569, 571, 572, 584, 585, 590 व 682 कुल खसरा 10 कुल रकबा 21.03 वीघा होकर स्थित है जिसमे प्रतिवादी सख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा, वादी एंव प्रतिवादी सख्या 4 व 5 का 1/3 हिस्सा तथा माना का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकोर्ड है तथा वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया मे खाता सख्या 136 खसरा सख्या 439/2 रकबा 15.10 बीघा होकर स्थित है जिसमे प्रतिवादी सख्या 1 व 2 का 1/24 हिस्सा , वादी एंव प्रतिवादी सख्या 3 व 4 का 1/24 हिस्सा तथा माना का 1/24 हिस्सा दर्ज रेकोर्ड है तथा वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया खाता सख्या 135 खसरा सख्या 570, 586, 587, 598 व 599 कुल खसरा 5 कुल रकबा 4.06 स्थित है जिसमे प्रतिवादी सख्या 1 व 2 का 1/18 हिस्सा, वादी एंव प्रतिवादी सख्या 4 व 5 का 1/18 हिस्सा तथा माना का 1/18 हिस्सा दर्ज रेकोर्ड है जिसमे माना ने

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

अपना 1/3 हिस्सा वादी को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज हक त्यागनामा 13.07.2016 को निष्पादीत किया जिससे माना का 1/3 हिस्सा वादी को प्राप्त होने से व वादी का उसके पिता की भूमि मे हिस्सा निहित होने से उसी हिस्से अनुसार विभाजन किया जावे, लेकिन प्रतिवादीगण विभाजन को तैयार नही होने से मौके पर विवाद होता है ऐसे मे हाल जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से के अनुसार वादग्रस्त आराजी का बंटवारा कर अलग अलग खाते कायम किये जाने आवश्यक है तथा प्रतिवादीगण को पावन्द किये जावे कि वे वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही कर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई।

प्रतिवादी ने दिनांक 01.07.2024 को प्रार्थना पत्र पेश कर तनकियात मे संशोधन का प्रार्थना पत्र पेश किया । वकील वादी वादी अनुपस्थित होने से वकील प्रतिवादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई । प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निम्न संशोधित तनकियात कायम की गई।

4 आया प्रतिवादी सख्या 4 ग्राम भाटीया के खाता सख्या 137 खसरा सख्या 548, 549, 550, 569, 571, 572, 584, 585, 590 व 682 कुल खसरा 10 कुल रकबा 21.03 ,ग्राम भाटीया के खाता सख्या 136 खसरा सख्या 439/2 रकबा 15.10 बीघा व ग्राम भाटीया के खाता सख्या 135 खसरा सख्या 570,586, 587, 598 व 599 कुल खसरा 5 कुल रकबा 4.06 बीघा मे काश्त करने मे प्रतिवादी सख्या 4 को वादी रुकावट पैदा नही करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

–जिम्मे प्रतिवादी सख्या 4

5 आया प्रतिवादी सख्या 4 माना के लाऔलाद फोत होने के कारण ग्राम भाटीया के खाता सख्या 137 खसरा सख्या 548, 549, 550, 569, 571, 572, 584, 585, 590 व 682 कुल खसरा 10 कुल रकबा 21.03 बीघा का 1/2 हिस्सा पर भेमा के वारिसान प्रतिवादी सख्या 1 के नाम व 1/2 हिस्से पर वादी एंव प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के नाम तथा वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया मे खाता सख्या 136 खसरा सख्या 439/2 रकबा 15.10 बीघा का 1/16 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 1 व 1/16 हिस्सा वादी व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के नाम दर्ज कर तथा वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया खाता सख्या 135 खसरा सख्या 570, 586, 587, 598 व 599 कुल खसरा 5 कुल रकबा 4.06 बीघा के 1/12 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 1 तथा 1/12 हिस्सा वादी एंव प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के नाम दर्ज कर प्रथक प्रथक खाता कायम करवाने का अधिकारी है।

– जिम्मे प्रतिवादी सख्या 4

6 आया प्रतिवादी सख्या 4 माना की मृत्यु के पश्चात हकत्यागनामा के आधार पर खोले गये नामान्तरण सख्या 606, 607 व 608 को निरस्त करवाने का अधिकारी है।

– जिम्मे प्रतिवादी सख्या 4

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

7 आया प्रतिवादी सख्या 4 वादी के पक्ष मे किये गये हकत्यागनामा को शून्य एंव प्रभावहीन घोषित करवाने का अधिकारी है।

– जिम्मे प्रतिवादी सख्या 4

8 अनुतोष–

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई। प्रतिवादी ने अपने प्रतिवाद के समर्थन मे निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये है–

डीडब्लयु–1– श्री रमण पिता लक्ष्मण डामोर निवासी भाटीया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रदर्श– डी 1 नामान्तरण सख्या 606 की नकल
प्रदर्श– डी 2 नामान्तरण सख्या 607 की नकल
प्रदर्श– डी 3 नामान्तरण सख्या 608 की नकल
प्रदर्श– डी 4 सेटलमेंट 2019 की नकल

प्रतिवादी ने दिनांक 15.07.2024 को प्रार्थना पत्र पेश कर दस्तावेज सेटलमेंट 2019 की नकल को पत्रावली पर लेने का निवेदन किया जो न्यायहीत मे स्वीकार किया गया। तथा पुनः बयान लेखबद्व कर दस्तावेज को प्रदर्शित किया गया।

उक्त बयानों प्रतिवादी संख्या चार ने बताया की माना के हिस्से की भूमि को अकेले हडपने के लिये वादी ने झुठा वाद प्रस्तुत किया है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा मूलपुरूष दला के वारिसान है वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया मे खाता संख्या 137 खसरा संख्या 548, 549, 550, 569, 571, 572, 584, 585, 590 व 682 कुल खसरा 10 कुल रकबा 21.03 बीघा होकर स्थित है जिसके 1/2 हिस्से पर भेमा के वारिसान प्रतिवादी सख्या 1 व 1/2 हिस्से पर वादी एंव प्रतिवादी सख्या 3 व 4 काबीज है तथा वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया मे खाता सख्या 136 खसरा सख्या 439/2 रकबा 15.10 बीघा होकर स्थित है जिसके 1/16 हिस्से पर प्रतिवादी सख्या 1 व 1/16 हिस्से पर वादी व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 काबीज है तथा वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया खाता सख्या 135 खसरा सख्या 570,586, 587, 598 व 599 कुल खसरा 5 कुल रकबा 4.06 के 1/12 हिस्से पर प्रतिवादी सख्या 1 तथा 1/12 हिस्से पर वादी एंव प्रतिवादी सख्या 3 व 4 काबीज है । वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की विरासती आराजी है जो पुर्व मे वादी व प्रतिवादीगण के दादा दला के नाम दर्ज थी । जो दला की मृत्यु के पश्चात दला के तिनो पुत्रो के नाम दर्ज हुई थी जिस पर प्रतिवादी सख्या 3 का जन्म से अधिकार निहित है लेकिन माना के बिमार होने के समय वादी ने माना का कोई वारीस नही होने के माना के हिस्से की भूमि अकेले हडपने के लिये वादी ने विधि विरूद्ध माना से वादग्रस्त आराजी मे माना के सम्पुर्ण हिस्से का छल पुर्वक हकत्यागनामा सम्पादीत करवा दिया जबकि माना के जिवित काल मे ही माना के हिस्से की भूमि पर वादी व प्रतिवादी सख्या 1 से 4 सयुक्त रुप से काबीज थे जिसकी जानकारी वादी को भी थी लेकिन माना के बिमार होने का फायदा उठाकर वादी ने धोखे से हकत्यागनामा संपादित करवा दिया ऐसे मे विधिविरूद्ध संपादित किये गये हकत्यागनामा को शून्य एंव प्रभावहीन धोषित किया जावे तथा नामान्तरण सख्या 606, 607, व 608 को निरस्त कर वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया मे खाता सख्या

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

137 खसरा सख्या 548, 549, 550, 569, 571, 572, 584, 585, 590 व 682 कुल खसरा 10 कुल रकबा 21.03 बीघा का 1/2 हिस्सा पर भेमा के वारिसान प्रतिवादी सख्या 1 के नाम व 1/2 हिस्से पर वादी एंव प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के नाम तथा वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया मे खाता सख्या 136 खसरा सख्या 439/2 रकबा 15.10 बीघा का 1/16 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 1 व 1/16 हिस्सा वादी व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के नाम दर्ज कर तथा वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया खाता सख्या 135 खसरा सख्या 570,586, 587, 598 व 599 कुल खसरा 5 कुल रकबा 4.06 का 1/12 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 1 तथा 1/12 हिस्सा वादी एंव प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के नाम दर्ज किया जाकर अलग अलग खाते कायम किये जाने आवश्यक है । तथा वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो प्रतिवादी सख्या तीन को वादग्रस्त आराजी मे काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे प्रतिवादी बन्द कर पत्रावली एकपक्षीय बहस प्रतिवाद मे नियत की गई।

विद्वान अभिभाषक की प्रतिवाद मे एकपक्षीय बहस सुनी गई वकील प्रतिवादी सख्या चार ने वक्त बहस प्रतिवाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। तथा मूलपुरूष दला के वारिसान है वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया मे खाता सख्या 137 खसरा सख्या 548, 549, 550, 569, 571, 572, 584, 585, 590 व 682 कुल खसरा 10 कुल रकबा 21.03 बीघा होकर स्थित है जिसके 1/2 हिस्से पर भेमा के वारिसान प्रतिवादी सख्या 1 व 1/2 हिस्से पर वादी एंव प्रतिवादी सख्या 3 व 4 काबीज है तथा वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया मे खाता सख्या 136 खसरा सख्या 439/2 रकबा 15.10 बीघा होकर स्थित है, जिसके 1/16 हिस्से पर प्रतिवादी सख्या 1 व 1/16 हिस्से पर वादी व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 काबीज है तथा वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया खाता सख्या 135 खसरा सख्या 570, 586, 587, 598 व 599 कुल खसरा 5 कुल रकबा 4.06 के 1/12 हिस्से पर प्रतिवादी सख्या 1 तथा 1/12 हिस्से पर वादी एंव प्रतिवादी सख्या 3 व 4 काबीज है। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की विरासती आराजी है जो पुर्व मे वादी व प्रतिवादीगण के दादा दला के नाम दर्ज थी । जो दला की मृत्यु के पश्चात दला के तिनो पुत्रो के नाम दर्ज हुई थी जिस पर प्रतिवादी सख्या 3 का जन्म से अधिकार निहित है लेकिन माना के बिमार होने के समय वादी ने माना का कोई वारीस नही होने के माना के हिस्से की भूमि अकेले हडपने के लिये वादी ने विधि विरूद्ध माना से वादग्रस्त आराजी मे माना के सम्पुर्ण हिस्से का छलपूर्वक हकत्यागनामा सम्पादित करवा दिया जबकि माना के जीवनकाल मे ही माना के हिस्से की भूमि पर वादी व प्रतिवादी सख्या 1 से 4 सयुक्त रुप से काबीज थे जिसकी जानकारी वादी को भी थी लेकिन माना के बीमार होने का फायदा उठाकर वादी ने धोखे से हकत्यागनामा संपादित करवा दिया। ऐसे मे विधि विरूद्ध संपादित किये गये हकत्यागनामा को शून्य एंव प्रभावहीन घोषित किया जावे तथा नामान्तरण

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

सख्या 606, 607, व 608 को निरस्त कर वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया मे खाता सख्या 137 खसरा सख्या 548, 549, 550, 569, 571, 572, 584, 585, 590 व 682 कुल खसरा 10 कुल रकबा 21.03 बीघा का 1/2 हिस्सा पर भेमा के वारिसान प्रतिवादी सख्या 1 के नाम व 1/2 हिस्से पर वादी एंव प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के नाम तथा वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया मे खाता सख्या 136 खसरा सख्या 439/2 रकबा 15.10 बीघा का 1/16 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 1 व 1/16 हिस्सा वादी व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के नाम दर्ज कर तथा वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया खाता सख्या 135 खसरा सख्या 570, 586, 587, 598 व 599 कुल खसरा 5 कुल रकबा 4.06 बीघा का 1/12 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 1 तथा 1/12 हिस्सा वादी एंव प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के नाम दर्ज किया जाकर अलग अलग खाते कायम किये जाने आवश्यक है तथा वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो प्रतिवादी सख्या तीन को वादग्रस्त आराजी मे काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करें। ऐसे में वाद डिक्री फरमाया जावे।

पत्रावली एकपक्षीय होने व प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से तनकी वार निर्णय नही कर सीधा निर्णय करना उचित समझता हूँ।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में वादी की अनुपस्थित होने से तनकी वार निर्णय नहीं कर सीधा निर्णय करना उचित समझता हूँ। वाद मे प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श डी 4 से ये साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी संवत् 2019 में प्रतिवादी संख्या 4 के दादा दला पिता वैसात के दाम दर्ज रेकॉर्ड थी, जो दला की मृत्यु के बाद दला के तीनों पुत्रों के नाम दर्ज हुई थी, जिससे दला के वारीसान संयुक्त रुप से काबीज होकर काश्त कर रहे हैं। दला के पुत्र माना के कोई औलाद नहीं होने से माना के हिस्से की उक्त विरासती भूमि पर वादी व प्रतिवादी सख्या 1 से 4 सयुक्त रुप से काबीज होकर काश्त करते थे तथा सभी मिलकर माना की सेवा चाकरी करते थे। वादी ने माना के हिस्से की जमीन अकेले हडपने की नियत से माना से अविधिक रुप से दिनांक 13.07.2016 को माना की हिस्से की सम्पूर्ण वादग्रस्त जमीन का हकत्याग नामा दस्तावेज संपादित करवा दिया तथा उक्त हकत्याग नामा दस्तावेज के आधार पर वादी के पक्ष मे नामान्तरण सख्या 606, 607 व 608 खोले गये, जो कानूनी रुप से गलत है, क्योकि उक्त वादग्रस्त जमीन विरासती जमीन थी, जिस पर वादी व प्रतिवादी सख्या 1 से 4 सयुक्त रुप से काबीज थे। ऐसे में माना को केवल वादी के नाम हकत्यागनामा संपादित करने का अधिकार निहित नहीं था। ऐसे में दिनांक 13.07.2016 को माना के द्वारा वादी के पक्ष मे संपादित हकत्याग नामा दस्तावेज व ग्राम भाटीया मे खोले गये नामान्तरण सख्या 606, 607 व 608 को प्रतिवादी सख्या 4 के विरूद्ध शून्य एंव प्रभावहीन घोषित कर वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया मे खाता सख्या 137 खसरा सख्या 548, 549, 550, 569, 571, 572, 584, 585, 590 व 682 कुल खसरा 10 कुल रकबा 21.03 बीघा का 1/2 हिस्सा पर भेमा के वारिसान प्रतिवादी सख्या

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

1 के नाम व 1/2 हिस्से पर वादी एंव प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के नाम तथा वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया मे खाता सख्या 136 खसरा सख्या 439/2 रकबा 15.10 बीघा का 1/16 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 1 व 1/16 हिस्सा वादी व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के नाम दर्ज कर तथा वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया खाता सख्या 135 खसरा सख्या 570, 586, 587, 598 व 599 कुल खसरा 5 कुल रकबा 4.06 का 1/12 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 1 तथा 1/12 हिस्सा वादी एंव प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के नाम दर्ज किया तथा वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना उचित समझता हुं कि वादी वादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादी सख्या 4 को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे तथा उक्त आराजी से बेदखल नहीं करें।

:: आदेश ::

वादी का वाद अदम हाजरी पैरवी मे खारिज किया जाता है तथा प्रतिवाद प्रतिवादी संख्या 4 स्वीकार किया जाकर दिनांक 13.07.2016 को माना के द्वारा वादी के पक्ष मे संपादित हकत्यागनामा दस्तावेज व ग्राम भाटीया मे खोले गये नामान्तरण सख्या 606, 607 व 608 को प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध शून्य एंव प्रभावहीन घोषित किया जाता है व वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया मे खाता संख्या 137 खसरा सख्या 548, 549, 550, 569, 571, 572, 584, 585, 590 व 682 कुल खसरा 10 कुल रकबा 21.03 बीघा का 1/2 हिस्सा पर भेमा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व 1/2 हिस्से पर वादी एंव प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के नाम तथा वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया मे खाता सख्या 136 खसरा सख्या 439/2 रकबा 15.10 बीघा का 1/16 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 1 व 1/16 हिस्सा वादी व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के नाम दर्ज कर तथा वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया खाता सख्या 135 खसरा सख्या 570, 586, 587, 598 व 599 कुल खसरा 5 कुल रकबा 4.06 का 1/12 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 1 तथा 1/12 हिस्सा वादी एंव प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के नाम दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादी वादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादी सख्या 4 को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे तथा उक्त आराजी से बेदखल नहीं करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

डिक्री व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

इजलास श्री उपखंड अधिकारी श्री राकेश कुमार न्योल सीमलवाडा

प्रकरण सख्याः– 25/2015

श्री जालमा बनाम श्री रतना वगैरह

वाद बाबतःवाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 व 209 रा.टी. एक्ट
व धारा 136 भु राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :–श्री राकेश कुमार न्योल

व हाजरीः–

मिनजानिब मुदई अनुस्थित व श्री बालगोविन्द पाटीदार मनजानिब मुदायलाह अनुपस्थित होकर हुक्म दिया जाता है डिकी दी जाती है कि–

वादी का वाद अदम हाजरी पैरवी मे खारिज किया जाता है तथा प्रतिवाद प्रतिवादी संख्या 4 स्वीकार किया जाकर दिनांक 13.07.2016 को माना के द्वारा वादी के पक्ष मे संपादित हकत्यागनामा दस्तावेज व ग्राम भाटीया मे खोले गये नामान्तरण सख्या 606, 607 व 608 को प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध शून्य एंव प्रभावहीन घोषित किया जाता है व वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया मे खाता संख्या 137 खसरा सख्या 548, 549, 550, 569, 571, 572, 584, 585, 590 व 682 कुल खसरा 10 कुल रकबा 21.03 बीघा का 1/2 हिस्सा पर भेमा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व 1/2 हिस्से पर वादी एंव प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के नाम तथा वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया मे खाता सख्या 136 खसरा सख्या 439/2 रकबा 15.10 बीघा का 1/16 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 1 व 1/16 हिस्सा वादी व प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के नाम दर्ज कर तथा वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त कब्जे काश्त की अन्य खातेदारी आराजी ग्राम भाटीया खाता सख्या 135 खसरा सख्या 570, 586, 587, 598 व 599 कुल खसरा 5 कुल रकबा 4.06 का 1/12 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 1 तथा 1/12 हिस्सा वादी एंव प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के नाम दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादी वादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादी सख्या 4 को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे तथा उक्त आराजी से बेदखल नहीं करे। डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

क्रमशः पेज दो पर

Scanned with OKEN Scanner

दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 23.07.2024 को जारी की गई

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी. . . .
ओहदा सीमलवाड़ा. . . . . .

मुदई	रूपया / पेसा	मुदायलाह	रूपया / पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प व जेह सबुत मेंहनताना वकील फीस कमी"नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेंहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमी"नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner